सत्यमेव जयते

राजभवन सूचना परिसर, उत्तराखण्ड

प्रेसविज्ञप्ति

# राज्यपाल ने प्रोटैम स्पीकर को शपथ दिलाई

**देहरादून 15 मार्च, 2012:–**

उत्तराखण्ड की राज्यपाल श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 180 के खण्ड एक में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए आज प्रातः राजभवन में जसपुर विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल को प्रोटैम स्पीकर के पद की शपथ दिलाई। अत्यन्त सादगी से सम्पन्न इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम का संचालन प्रमुख सचिव विधानसभा एवं विधायी श्री डी.पी.गैरोला द्वारा किया गया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य सहित अनेक नव निर्वाचित विधायक, मुख्य सचिव श्री सुभाष कुमार, प्रमुख सचिव राज्यपाल श्री अशोक, अपर सचिव राज्यपाल श्री सचिन कुर्वे, अपर सचिव सूचना श्री विनोद शर्मा आदि भी उपस्थित थे।

————————0————————

# राज्यपाल ने 10 बंदियों को रिहा करने के आदेश दिये

उत्तराखण्ड की राज्यपाल श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष अधिकारों (क्षमादान, सजा कटौती) के अन्तर्गत उम्र कैद के सिद्ध दोषी 10 बंदियों को रिहा करने के आदेश गृह विभाग को जारी किये है।

सजामाफी विषय पर शासन द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों के आधार पर 14 वर्ष से अधिक की अवधि की सजा काट चुके इन सभी कैदियों के कारावास की अवधि में संतोषजनक आचरण उनकी वृद्धावस्था तथा अशक्तता के दृष्टिगत उनकी शेष अवधि की सजा को परिहार के रूप में परिवर्तित करके उन्हें मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

सूच्य है कि सजामाफी/रिहाई के लिए गठित समिति की संस्तुतियों से पूर्व राज्यपाल ने राज्य के प्रमुख पांच कारागारों का भ्रमण करके सिद्ध दोष बंदियों से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये थे। राज्यपाल के निर्देशों के क्रम में अन्य सिद्ध दोषियों की क्षमा याचना सम्बन्धी प्रार्थना पत्रों पर भी राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा समीक्षा की जा रही है।

रिहा किये जा रहे बंदियों में जगदीश उर्फ जयदत्त पुत्र श्री परमानन्द, ख्यालीराम पुत्र श्री परमानन्द, बलविदर सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह, देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र, कमला देवी पत्नी श्री गिरीश राम, दर्शन लाल पुत्र श्री बचन लाल, श्रीनिवास पुत्र श्री इतवारी, नवाब पुत्र श्री अख्तर, रणजीत सिंह पुत्र श्री जीत सिंह, महेश चन्द्र पुनेठा पुत्र श्री रामदत्त पुनेठा हैं।

————————0————————

**सूचना अधिकारी श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड मो0–9456590619 टेली फैक्स 0135–2756172**